

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः— प.17(4)परि / 2019

जयपुर, दिनांकः— २५।।२०२०

आदेश

लेखाशीर्ष 3055—00—190—(08)—[00]—12 सहायतार्थ अनुदान (राज्य निधि) के अन्तर्गत 100.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान उपलब्ध कराने एवं 100.00 करोड़ रुपये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निजी निक्षेप खाते में अंतरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

नोटः— उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि राशि अंतरण करने के आगामी प्रस्ताव के साथ वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101902529 दिनांक 12.06.2019 एवं आई.डी.संख्या 101903643 दिनांक 26.09.2019 में दी गई राय के अनुसार रोडवेज की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये सक्षम प्रशासनिक स्तर से अनुमोदित विस्तृत कार्य योजना बजट घोषणा में अपेक्षितानुसार भिजवाई जाएगी।

यह स्वीकृति वित्त(व्यय—2) विभाग की आई.डी.संख्या 101905991 दिनांक 09.01.2020 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

६०।।

(पी.डी.पारीक)

उप शासन सचिव, परिवहन

क्रमांकः— प.17(4)परि / 2019

जयपुर, दिनांकः— २५।।२०२०

प्रतिलिपि—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय—2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग मुख्यालय।
8. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
9. निदेशक, वित्त(बजट) विभाग, शासन सचिवालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार राशि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित कराने का श्रम कराएं।
10. सहायक निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, सचिवालय कोष, जयपुर।
12. सिस्टम एनालिस्ट।
13. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव, परिवहन
२५।।२०२०